महत्वपूर्ण एवं खास

स्कूल, आश्रम -छात्रावास के लघु मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा करें - कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने आज कलेक्टोरेट में मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप जिले के सभी स्कूल, आश्रम, छात्रावास आदि के भवन, टूटे खिड़की, दरवाजे, शौचालय, छत आदि के लघु मरम्मत के कार्य शीघ्र किया जाए। स्कूल भवनों के कार्य के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) और आश्रम-छात्रावास के कार्यों के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार सभी संबंधित विभाग के अधिकारी समन्वय से कार्य करें। बैठक में अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और आदिवासी विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

विधायकों का वेतन भत्ता,पेंशन संशोधन विधेयक पारित

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन आज विधायकों का वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। राज्य के पूर्व विधायकों के पेंशन और यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई है। संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा लाए गए इस विधेयक में पूर्व विधायकों की पेंशन 35 हजार रुपए से बढ़ाकर 58,300 रुपए की गई है। सदन की कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 सदन में आज सर्वसम्मति से पारित हो गया। विपक्ष ने विधेयक पर चर्चा से बहिष्कार कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधेयक को बनाने के लिए रिटायर्ड जस्टिस आफताब आलम की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सभी पहलुओं पर राय ली गई है।

चलती कार व स्कूटर में लगी आग

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में दो अलग-अलग मामलों में एक कार व स्कूटर में चलती हुई स्थिति में आग लग गई। दोनों ही वाहनों के चालकों ने गाड़ी से कुदकर अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के अनुसार पहला मामला माना क्षेत्र का है। जहां एक्सप्रेस वे पर चलती मारुति वैन में अचानक आग लग गई। इस हादसे में मारुति वैन पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई है। वाहन मालिक कुणाल सिन्हा ने चलती वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरे मामला टिकरापारा क्षेत्र का है जहां पुजारी कॉम्प्लेक्स के सामने चलती एक्टिवा वाहन में आग लग गई और एक्टिवा जलकर पूरी तरह राख हो गया। दोनों ही इस घटनाओं से आसपास के लोगों में हडक़ंप मच गया।

अंबिकापुर शहर में घुसा जंगली सूअर, दो महिलाओं पर किया हमला

अंबिकापुर (आरएनएस)। हाथी, भालू,बायसन के बाद अब जंगली सूअर भी अंबिकापुर शहर में घुसने लगे हैं। मंगलवार की सुबह जंगली सूअर के हमले से दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई।दोनों महिलाएं मार्निंग वाक पर निकली थी। उसी दौरान जंगली सूअर ने महिलाओं पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों द्वारा शोर मचाने के बाद जंगली सूअर वहां से चला गया लेकिन उसके बाद से लोकेशन नहीं मिल रहा है। वन विभाग की टीम जंगली सूअर की खोजबीन में लगा हुआ है।बताया जा रहा है कि जंगली सूअर ,महामाया पहाड़ की ओर से भोर में ही शहर में घुस गया था। महामाया पहाड़ का हिस्सा लुचकी जंगल से लगा हुआ है। महामाया पहाड़ से निकलने के बाद जंगली सूअर सीधे रिंग रोड से लगे हरसागर तालाब के पास पहुंच गया। यहां एक महिला सुबह घूमने निकली थी। अचानक सूअर ने उस पर हमला कर दिया। महिला कुछ समझ पाती उसके पहले ही जंगली सूअर ने उसके शरीर पर कई स्थानों में काट कर जख्मी कर दिया। जब महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो आसपास लोग शोर मचाने लगा तब जंगली सूअर वहां से तेजी से भाग गया।वहां से जंगली सूअर सीधे चांदनी चौक की ओर बढ़ गया।

कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने हेतु सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का होगा आयोजन - कलेक्टर

- **खाद भंडारण एवं वितरण का कार्य प्राथमिकता में लेकर समय पर करने के निर्देश**
- **कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने ली समय सीमा की बैठक**

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आनलाइन पोर्टलों में लंबित आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विभागवार समीक्षा की एवं प्रत्येक आवेदन की गंभीरता से जाँच कर निराकरण करने के निर्देश दिए। राजस्व मामलों में पंजियों के संधारण में सुधार लाने को कहा। सड़क संबंधी प्रगति कार्यों की समीक्षा करते हुए प्राथमिकता से जानकारी मुहैया कराने हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने कुपोषित बच्चों के प्रति समाज के दायित्वों को अमल में लाने के लिए संवेदना की जरूरत को महसूस की है। आने वाले समय में कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने हेतु सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया, साथ ही अधिकारियों को अपने स्तर पर कुपोषित बच्चों को गोद लेने के लिए कहा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को गोद लेकर तीन महीनों तक सतत् मानीटरिंग करते हुए उन्हें पोषणयुक्त भोजन प्रदान किया जाएगा।

कलेक्टर ने खाद भंडारण एवं वितरण के कार्यों की जानकारी ली, साथ ही अग्रिम भंडारण और लक्ष्य के आंकड़ों की ब्लॉकवार सूची तैयार कर तय लक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। जाति प्रमाण पत्र के कार्य में तेजी लाने को कहा। कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, किसान किताब, अविवादित और विवादित खाता विभाजन, अविवादित और विवादित नामांतरण, सीमांकन, डिजिटल खसरा, निजी, खातेदार, सहखातेदार के आधार प्रविष्टि, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता आदि राजस्व मामलो के लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। नक्शा बंटाकन और अभिलेख शुध्दता रिपोर्ट के कार्यों की समीक्षा की एवं पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों की सहायता से कार्य की गति बढ़ाने को कहा। इसके पश्चात् राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के संबंध में नाराजगी जताते हुए सभी न्यायालयों में लंबित मामलों का प्राथमिकता से शीघ्र निपटान करने को कहा।

कलेक्टर ने गोधन न्याय अंतर्गत कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को शासन की फ्लैगशिप योजनाओं पर गंभीरता से कार्य करने को कहा। गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट के भंडारण की स्थिति, गौमूत्र संग्रहण और क्रय के आंकड़ों की समीक्षा कर निराशा जताई और कार्य में सुधार करने के निर्देश दिए। जी-मैप और गोधन पोर्टल पर एंट्री और सुधार की प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। वन अधिकार पत्र अंतर्गत सभी ब्लॉक में चिन्हित पाँच गाँवों में महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य स्वीकृति की समीक्षा की साथ ही वन अधिकार पट्टाधारियों के धान खरीदी हेतु पंजीयन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश दिए। वन अधिकार पट्टाधारियों की सूची तैयार कर पात्र किसानों को शीघ्र पंजीकृत करने की दिशा पर कार्य करने को कहा।

कलेक्टर ने धन्वंतरी मेडिकल स्टोर योजना, मिलेट मिशन, सेजेस भर्ती, वन अधिकार पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, रासायनिक खाद वितरण, बीज भंडारण, मिलेट मिशन, जल जीवन मिशन, मनरेगा, देवगुड़ी निर्माण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जैविक खाद भंडारण, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, कृषि आदान वितरण सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, संयुक्त कलेक्टर भागवत जायसवाल, एसडीएम मोनिका वर्मा एवं डॉ स्निग्धा तिवारी, सारंगढ़ और बिलाईगढ के सीएमओ, जनपद पंचायतों के सीईओ सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर और एसपी ने ली सड़क दुर्घटना से नागरिकों के सुरक्षा के लिए बैठक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में सड़क दुर्घटना से नागरिकों की सुरक्षा के लिए 'सड़क सुरक्षा' की बैठक ली। कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने बैठक में नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारियों को तिराहा, चौराहा, स्टेट और नेशनल हाईवे मोड़ और खुले पुल-पुलिया, खतरनाक मोड आदि दुर्घटनाजन्य स्थानों में भी संकेतक साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने नेशनल हाईवे के अधिकारी से सरायपाली से रायगढ़ 90 किलोमीटर के निर्माणाधीन सड़क निर्माण के कार्य की जानकारी ली और मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि सभी स्थानों में वाहन की गति सीमा का संकेतक लगाना चाहिए ताकि आम नागरिक जागरूक होकर वाहन चालन का कार्य करें और वाहन दुर्घटना से बचें। सभी सीएमओ व्यापारियों को बाइक के साथ ग्राहकों को हेलमेट खरीदना अनिवार्य करें। ऐसा नहीं करने वाले व्यापारियों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि स्वयं और साथी यात्रियों की सुरक्षा के लिए आम नागरिक वाहन चलाने के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट आदि के प्रयोग करें। हेलमेट नहीं पहनने के कारण ही दुर्घटना में अधिकांश लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने अपराधों की रोकथाम के लिए नगरों में उच्च क्वालिटी का सीसीटीवी लगाने के लिए कहा। स्वास्थ्य विभाग सड़क दुर्घटना के मामलों का एफआईआर शीघ्र दर्ज कराएं ताकि पुलिस विभाग केन्द्र सरकार के वेबसाइट में इन मामलों को दर्ज कर सके।

एसपी ने कहा कि सड़क में संकेतक नहीं होने से यात्रियों को लम्बी दूरियों का सफर करके अनावश्यक परेशानियां होती है। सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के अनुसार जहां जरूरत वहां स्पीड ब्रेकर का निर्माण होना चाहिए। आरटीओ नियमानुसार ट्रैक्टर ट्राली और अन्य वाहनों के किनारे में रिफलेक्टर और संकेतक होने पर ही फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करें, कोताही नहीं बरते। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कहा कि ट्रांसफार्मर और अन्य स्थानों में खुले बिजली के वायरिंग को बंद करें।

बैठक में नेशनल हाईवे के अधिकारी भदौरिया ने सड़क निर्माण के दौरान आवश्यक पुलिस बल सहित अन्य सहायता के लिए अवगत कराया। उन्होंने सड़क डिजाइन और सुधार कार्य के लिए सड़क दुर्घटना की रिपोर्ट की मांग की। कलेक्टर और एसपी ने सभी सुविधा प्रदान करने की सहमति दी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 में 162 सड़क दुर्घटना प्रकरण में 97 मृत, 117 घायल हुए हैं। मोटर सायकल दुर्घटना के 74 प्रकरण में बिना हेलमेट के कारण 42 लोगों की मृत्यु हुई है। ओव्हर स्पीड के प्रकरण में 21 मृत और 23 घायल हुए हैं। बैठक में अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, एएसपी महेश्वर नाग, एसडीएम सारंगढ़ मोनिका वर्मा, एसडीएम बिलाईगढ़ डॉ. स्निग्धा तिवारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सारंगढ़ मनीष गायकवाड़, सीएमएचओ डॉ. एफ.आर. निराला, लोक निर्माण, नेशनल हाईवे और छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा सचिव को 20 हजार जुर्माना: हाईकोर्ट ने किया तलब

- **समय पर जवाब प्रस्तुत न करने से बेहद नाराज हुए जज**

बिलासपुर (आरएनएस)। एक महीना टाइम देने के बाद भी 11 साल पुराने मामले में जवाब न देने से हाई कोर्ट ने नाराज होकर 20 हजार रुपए जुर्माना कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को हाईकोर्ट ने 23 मार्च को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

यह मामला 2012 में शिक्षा विभाग के एक मामले में कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए समय पर एडिशनल जानकारी प्रस्तुत न किए जाने का है। दरअसल याचिकाकर्ता ने 2012 में याचिका दायर कर हेड मास्टर के पद पर नियुक्ति की मांग समस्त लाभ के साथ की है जिस पर लगातार सुनवाई जारी है इसी मामले में शासन को 20 मार्च तक एडिशनल रिप्लाई फाइल करने को कहा गया था। लेकिन विभाग द्वारा इस मामले में निर्धारित तिथि तक कोई अतिरिक्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव के तरफ से डीईओ कोर्ट में पेश हुए। जिससे नाराज होकर जज जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सचिव को न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही जुर्माने के तौर पर हाईकोर्ट लाइब्रेरी फंड में व्यक्तिगत 20000 की राशि भी जमा करनी होगी।

18500 रू. के नकली नोट के साथ युवक पकड़ाया

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर की थाना सिविल लाईन पुलिस ने एक आरोपी को अरोरा कालोनी रिंग रोड 01 के पास से नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से 18500 रूपये के नकली नोट जब्त किया है।

मिली जानकारी के पुलिस को मुखबीस से सूचना मिली कि सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत अरोरा कालोनी रिंग रोड नंबर 1 के पास युवक जाली नोट खपाने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी सिविल लाईन को सूचना की तस्दीक कर आरोपी को नकली नोट के साथ पकडऩे निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत अरोरा कालोनी रिंग रोड नंबर 1 के पास जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर मोटर सायकल क्रमांक सीजी 06 जी 0257 के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम भोजराम नायक पिता गौतम नायक उम्र 22 साल पता ग्राम अंकोरा, थाना बसना, जिला महासमुंद का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर उसके शर्ट की जेब से 18500 रूपये के नकली नोट रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 सौ के 3 नोट, 2 सौ के 9 नोट एवं सौ रूपए के 152 नोट, कुल 18500 रूपये के नकली जब्त किया गया। मामले में आरोपी के विरूद्ध धारा 489(ख)(ग) भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।

युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपित युवक को कोतवाली पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार

रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा धरमजयगढ़ की युवती को रायगढ़ में टीचर का जॉब दिलाने के बहाने उससे जान पहचान बढ़ाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी युवक को पलामू (झारखंड) से गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार 13 फरवरी को धरमजयगढ़ में रहने वाली युवती थाना कोतवाली रायगढ़ आकर उसके साथ शारीरिक शोषण की घटना को लेकर लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। पीड़ित युवती बताई कि उसके परिचित के माध्यम से सिंटू यादव निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना पाकी पलामू (झारखंड) पिछले साल जुलाई में रायगढ़ के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड बुलाया था। सिंटू यादव के द्वारा टीचर का जॉब रायगढ़ में दिलवा दूंगा रायगढ़ में रुकना पड़ेगा कहने पर रायगढ़ में अपने परिचित के यहां रुक गई। इसी दरमियान सिंटू यादव मेल-मुलाकात करने लगा और पसंद करता हूं शादी करूंगा कहकर केवड़ाबाड़ी के पास स्थित एक कॉलोनी में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया जिसके बाद से लगातार सिंटू यादव शारीरिक संबंध बनाता था। इस बीच सिंटू यादव अपने गांव झारखंड चला गया और धीरे-धीरे बातचीत कम कर दूरियां बढ़ाने लगा। गत दिनों सिंटू यादव शादी नहीं करूंगा कहकर साफ इंकार करने पर पीड़ित युवती थाना कोतवाली आकर सिंटू यादव के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर आवेदन दिया गया। पीड़िता के आवेदन पर थाना कोतवाली में आरोपी पर धारा 376 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी सिंटू यादव के गार्ड का काम करने व पलामू (झारखंड) में रहने की जानकारी पुख्ता होने पर कोतवाली पुलिस की टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई जिसे आज हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया। आरोपी सिंटू यादव पिता गणेश यादव उम्र 21 साल निवासी ग्राम पुरुषोत्तमपुर थाना पाकी पलामू (झारखंड) जिसे दुष्कर्म के अपराध में गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पिता को दिया गया है। आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, एसआई संतरा चौहान, प्रधान आरक्षक विक्रम चौरसिया की प्रमुख भूमिका रही है।

अंजरेल में नक्सलियों ने जलाए सड़क निर्माण में लगे तीन वाहन

- **अजाक्स मशीन, ट्रैक्टर और पिकअप में किया आगजनी**
- **नारायणपुर जिले के भरण्डा थाना का मामला**

नारायणपुर (आरएनएस)। जिला मुख्यालय से 13 किमी दूर खोडग़ांव पंचायत के आश्रित गांव अंजरेल के पटेल पारा में नक्सलियों ने बुधवार की शाम जमकर उत्पात मचाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत 3:50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सडक़ निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। जिसमें एक अजाक्स मशीन, एक ट्रैक्टर और एक पिकअप वाहन शामिल है।

घटना की पुष्टि करते एसपी पुष्कर शर्मा ने बताया कि पीएमजीएसवाई के तहत सडक़ निर्माण का कार्य किया जा रहा था। ठेकेदार के द्वारा पुलिस विभाग को सूचना दिए बगैर ही निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसकी वजह से सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई थी। घटना के बाद इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। वाहन चालक और परिचालक सभी सुरक्षित है।

विदित हो कि इस इलाके में खनन कार्य शुरू होने के बाद से नक्सलियों की मौजूदगी की खबर पिछले कई दिनों से आ रही थी। नक्सलियों की रावघाट एरिया कमेटी के 15 से 20 नक्सलियों के द्वारा घटना को अंजाम देने की बात कही जा रही है। इस दौरान महिला नक्सलियों की मौजूदगी भी बड़ी संख्या में रही है। हथियारों से लैस वर्दीधारी नक्सलियों के द्वारा सडक़ निर्माण कार्य बंद करने की चेतावनी वाहन चालकों को दी गई है। बीएसएफ कैंप से 3 किमी दूर नक्सली वारदात हो जाने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए अंजरेल की पहाडिय़ों से लौह अयस्क की धुलाई की जा रही है। तीनों वाहन ठेकेदार संजय सोमानी की बताई जा रही है।

महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के लिए 1468.77 करोड़ रूपए की अनुदान मांगे स्वीकृत : मंत्री भेंड़िया ने की अनुदान मांगे प्रस्तुत

- **महिला कोष के बजट में वृद्धि: 25.20 करोड़ रुपये का हुआ प्रावधान**

रायपुर(आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिय़ा के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1468 करोड़ 77 लाख 08 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्व सम्मति से पारित की गई। इसमें महिला एवं बाल विकास के लिए 1357 करोड़ 17 लाख 95 हजार रूपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 111 करोड़ 59 लाख 13 हजार रूपए की राशि शामिल हैं। अनुदान मांगों की चर्चा में सदस्य विधायकगण रंजना दीपेन्द्र साहू और सावित्री मनोज मंडावी ने भाग लिया।

मंत्री भेंडिय़ा ने सदन में चर्चा में कहा कि पिछले बजट की तुलना में उनके विभाग के बजट में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए 4 जिलों में 6 सखी सेंटर संचालित किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2023-24 के बजट में 1.37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिये नि:शुल्क हेल्पलाइन सेवा नंबर 181 संचालित है।

मंत्री भेंडिय़ा ने कहा कि इस वर्ष महिला कोष के बजट में वृद्धि करते हुए 25.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से स्व-सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 2 लाख रूपये से 4 लाख रूपये तक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित ऋण योजनांतर्गत ऋण लेने वाले ऐसे समूह जो अपरिहार्य कारणों से लंबी अवधि से ऋण एवं ब्याज नहीं चुका पा रहे थे, उनके प्रति संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए उनका 11.03 करोड़ का ऋण माफ कर दिया है।

भेंडिय़ा ने कहा कि महिलाओं को अर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य स्तर पर महिला मड़ई का आयोजन हर साल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

जिले में भी महिलाओं को जागृत और सशक्त बनाने इसी तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं लाखों रुपए कमाती है। इसके साथ ही अन्य महिलाओं के लिए भी स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की बहनें गौठानों, मध्यान्ह भोजन और वन उत्पादों के विक्रय सहित कई कामों में लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की बहनें कमजोर नहीं हैं, वे बैंकिंग लेनदेन सहित अपने सारे काम खुद करती हैं।

भेडिय़ा ने बताया कि राज्य सरकार ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन राशि में वृद्धि करते हुए उसे 500 रूपए कर दिया है। विगत 15 सालों में जहां पेंशन राशि में मात्र 50 रूपए की बढ़ोतरी की गई थी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कुछ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU